

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
ANUSANDHAN BHAWAN, 2 RAFI MARG, NEW DELHI-110001

16/22(Rep. Rev.)/2008-CR

Dated:-22.06.2021

25

OFFICE MEMORANDUM

Sub: - Reporting/Reviewing Officers for O-APARs/APARs for the Reporting year 2020-2021

Since 2004-2005 onwards extensive exercise is undertaken to notify the list of all Reporting and Reviewing Officers of ACRs/APARs in order to give effect to the policy contained in the CSIR letters Nos. 17/66/7/94-PPS dated 5.12.2003 and 16-1(47)/2019-CCOACR dated 20.12.2019. The said letter provides that the Reporting and Reviewing should not be done by the same person, save in exceptional circumstances.

In order to avoid discrepancies and to fall in line with the prescribed procedure all HODs of various Divisions of CSIR Hqrs./ CSIR Complex / HRDG / RAB / HRDC / MBSA / MBGH / IPU /TKDL / URDIP are requested to provide the information regarding names of Reporting and Reviewing Officers in respect of all the staff working under their control for the year 2020-2021.


(SS Mandal)

Under Secretary (CO)

Copy to:-

1. All the Sectional/Divisional, Heads of CSIR Complex / HRDC/ MBSA/ MBGH/ IPU/ TKDL/Science Centre/URDIP
2. All the Sr. DS/ Sr. DY FA/ DY FA /DS of CSIR Complex/HRDC/ MBSA/ MBGH/ IPU/ TKDL/ Science Centre/URDIP
3. Office of VP, CSIR
4. Office of DG, CSIR
5. Office of JS (Admn.)
6. PS to FA
7. PS to CVO
8. DS (HR)
9. DS (PD)
10. Sr.DS (CO)
11. Manager Cafeteria
12. Head, IT with request to upload this OM on CSIR Website
13. All Notice Boards of CSIR Complex/ HRDC/ MBSA/ MBGH/ IPU/ TKDL/ URDIP
14. Office Copy

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं. 16/22(रैप.रेव.)/2008-सीआर

दिनांक:- 22.06.2021

कार्यालय ज्ञापन

28

विषय : रिपोर्टिंग वर्ष 2020-2021 की ओ-अपार/अपार हेतु रिपोर्टिंग/रिव्यूइंग अधिकारी

वर्ष 2004-05 से एसीआर/अपार के सभी रिपोर्टिंग तथा रिव्यूइंग अधिकारियों की सूची को अधिसूचित करने हेतु व्यापक कवायद की गई है ताकि सीएसआईआर के दिनांक 5.12.2003 के पत्रांक 17/66/7/94-पीपीएस तथा दिनांक 20.12.2019 के पत्रांक 16-1(47)/2019-सीसीओएसीआर में निहित नीति को लागू किया जा सके। उक्त पत्रों के अनुसार केवल विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़ कर एक ही अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग नहीं की जानी चाहिए।

विसंगतियों से बचने और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/एचआरडीसी/आरएबी/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/यूआरडीआईपी के विभिन्न प्रभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्ष 2020-2021 के लिए अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रकार के स्टाफ के रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारियों के नामों की सूचना उपलब्ध कराएं।


(एस एस मंडल)

अवर सचिव (के. का.)

प्रतिलिपि:

1. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/साइंस सेंटर के सभी अनुभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष
2. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल/साइंस सेंटर के सभी वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/उप सचिव
3. उपाध्यक्ष, सीएसआईआर का कार्यालय
4. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
5. संयुक्त सचिव (प्रशा.) का कार्यालय
6. वित्त सलाहकार की निजी सचिव
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक
8. उप सचिव (मानव संसाधन)
9. उप सचिव (नीति प्रभाग)
10. उप सचिव (केन्द्रीय कार्यालय)
11. प्रबंधक कैफेटेरिया
12. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी-इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस का.ज्ञा. को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं
13. सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स/एचआरडीसी/एमबीएसए/एमबीजीएच/आईपीयू/टीकेडीएल के सभी नोटिस बोर्ड
14. कार्यालय प्रति